संविधान का विकास
(Growth of the constitution)

हर संविधान एक सजीव दस्तावेज होता है, क्योंकि वह समय बीतने के साथ उसका विकास होता रहता है। नयी परिस्थितियों या समय की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके प्रावधानों में संशोधन होते रहते हैं और वह इतना बदल जाता है कि यदि संविधान निर्माताओं को किसी जादुई या चमत्कारी तरीके से जीवित किया जाये तो कदाचित वे अपनी रचना को पहचान नहीं सकेंगे।

संवैधानिक संशोधन → (Constitution amendments) → सबसे पहले हम संवैधानिक संशोधन को लेते हैं जिन्होंने इसके मूल पाठ को काफी हद तक बदला है। 1951 में पहला संशोधन हुआ।

महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश (important executive decrees) → समय-समय पर कार्यपालिका की ओर से आदेश जारी होते हैं जो संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए 1954 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया।

प्रमुख संसदीय कानून (Major Parliamentary Laws) → संविधान के अनुच्छेदों की परिपूर्ति करने हेतु समय-समय पर संसद कानून बनाती है उदाहरण के लिए 1952 के राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, 1969 में राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है